

**पूर्व सैनिकों / सैनिक विधवाओं एवं उनके आश्रितों को उत्तराखण्ड
सैनिक पुनर्वास संस्था द्वारा देय आर्थिक सहायता।**

सामान्य शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति।	कक्षा 11 व 12 हेतु	₹ 3,000 / -
	स्नातक कक्षाओं हेतु	₹ 4,000 / -
	स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु	₹ 5,000 / -
	पी0 एच0 डी0, एल0 एल0 डी0 एवं एम0 फिल0 शोध अध्ययन कर रहे विद्यार्थी हेतु	₹ 10,000 / -
सर्टिफिकेट कोर्सेज शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति।	फिटर, वैल्डर, टर्नर, इलैक्ट्रीशियन / इलैक्ट्रोनिक, वायरमैन, मैकेनिक, कटार्ड एवं सिलाई, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, पेन्टर, सर्वेयर, मोल्डर, हैन्डीक्राफ्ट एवं आफिस ऑटोमेशन, स्टेनोग्राफी, हिन्दी ट्रान्सलेटर, डी0ई0ओ0 एवं सैक्रेट्रियल सार्टीफिकेट कोर्सेज।	₹ 4,000 / -
डिप्लोमा कोर्सेज शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति।	माडर्न आफिस मैनेजमैन्ट, इन्फार्मेशन टेक्नोलोजी, कम्प्यूटर नैटवर्किंग एवं कम्प्यूनीकेशन, पौलीटेक्निक इंस्टिट्यूशनस के कोर्सेज, मेडिकल लैब, इन्टीरियर डिजाइनिंग, फार्मसी आयुर्वेदिक, मेडिकल लैब टेक्नोलोजी, फैशन टेक्नोलोजी, गारमैन्ट टेक्नोलोजी, वैटनरी टेक्नीसियनस, बी0टी0सी0 / बी0पी0टी0, होटल मैनेजमैन्ट एवं ऐरोव्युटिक्स व सैक्रेट्रियल डिप्लोमा कोर्सेज।	₹ 5,000 / -
व्यवसायिक / डिग्री कोर्सेज शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति।	बी0एड0 / बी0पी0एड0 / एम0एड0 / एम0पी0एड, बी0एस0सी0 / एम0एस0सी0 (कृषि / हार्टीकल्चर / होम साइन्स), होस्पिटेलिटी इन्डस्ट्री, फौरेस्ट्री, फारमेसी (ऐलोपैथी / आर्युवैदिक, होम्योपैथी), नर्सिंग कोर्सेज, वैटनरी, बी0 फार्मा / डी0 फार्मा / एम0 फार्मा, जर्नलिज्म, बायोटेक्नोलोजी फिजियोथैरेपी, फैशन एण्ड डिजाइन टेक्नोलोजी, एल0एल0बी0, एल0एल0एम0, बी0एच0एम0(सी0टी0) / टूरिज्म / ट्रेवल, सी0ए0, बी0बी0ए0 / एम0बी0ए0, बी0सी0ए0 / एम0सी0ए0 एण्ड पी0जी0डी0एम0	₹ 8,000 / -

तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति।	बी.ई.,एम.ई., बी.टैक.,एम.टैक, एम0बी0बी0एस0, बी0ए0एम0एस0, बी0एच0एम0एस0, बी0डी0एस0 एण्ड वी0वी0एस0, आर्किटैक्चर, फिशरी साइंस।	₹ 15,000 /—
मेघावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति।	इन्टरमीडियट कक्षाओं हेतु (80 प्रतिशत अंक)	₹ 12,000 /—
	स्नातक कक्षाओं हेतु (80 प्रतिशत अंक)	₹ 15,000 /—
	स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु। (70 प्रतिशत अंक)	₹ 18,000 /—
पूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चे एवं सैन्य विधवाओं के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति।	कक्षा 1 व कक्षा 8 तक (अनाथों हेतु 33 प्रतिशत अंक)	₹ 6,000 /—
	कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक (अनाथो हेतु 33 प्रतिशत अंक)	₹ 10,000 /—
प्रोत्साहन सहायता राशि।	सैनिक स्कूल / आर0आई0एम0सी0 / मिलिट्री स्कूल एन0डी0ए0 / आई0एम0ए0 / ओ0टी0ए0 / एयर फोर्स / नेवल अकादमी में प्रवेश पाने वाले पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं के आश्रितों को एकमुश्त प्रोत्साहन के रूप में अनुदान।	₹ 10,000 /—
कोचिंग व्यय की प्रतिपूर्ति	एनडीए, आईएमए, ओटीए, सिविल सेवा, पीसीएस, एमबीबीएस, आईएचएम,आईआईटी आईआईएम में चयन होने पर पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं के आश्रितों को कोचिंग व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान दिया जाता है।	₹ 20,000 /—
पूर्व सैनिक आश्रितों के खेलों में प्रतिभाग करने पर प्रोत्साहन अनुदान	राज्य के पूर्व सैनिकों / सैनिक विधवाओं के बच्चों को खेलों के प्रति आकर्षित किये जाने हेतु प्रदेश, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर में प्रतिभाग करने पर निम्नवत् प्रोत्साहन राशि अनुमन्यः—	
	(i) प्रदेश स्तर पर प्रतिभाग करने पर	₹ एक लाख
	(ii) राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर	₹ दो लाख
	(iii) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर	₹ चार लाख
सेना, अर्द्धसैनिक बल, सीपीओज तथा राज्य पुलिस में चयन होने पर अनुदान।	सैनिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित भर्ती पूर्व प्रशिक्षण से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त सेना, सीपीओज, अर्द्धसैनिक बल तथा राज्य पुलिस में चयन होने पर अनुदान अनुमन्य किया गया है।	एकमुश्त ₹ 20,000 /—

विकलांग पूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान।	राज्य के युद्ध विकलांग पूर्व सैनिकों को मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों से रोजगारपरक तथा कौशल विकास परक कोर्स करने हेतु अनुदान।	कुल व्यय अथवा ₹ 20,000 जो भी कम हो।
सामान्य चिकित्सा।	सामान्य चिकित्सा के अन्तर्गत एक पूर्व सैनिक एवं पूर्व सैनिक आश्रितों को जो पेंशनधारी न हो तथा भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली अंशदायी चिकित्सा योजना की पात्र न हों।	एक वर्ष में अधिकतम ₹ 10,000 /—
विशेष चिकित्सा	पूर्व सैनिक तथा सैनिक आश्रित जो पेंशनधारी न हो तथा अंशदायी चिकित्सा योजना का पात्र न हो को कैंसर, हृदय प्रत्यारोपण, गुर्दे का प्रत्यारोपण, मस्तिष्क शल्य चिकित्सा आदि हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है।	कुल व्यय का 75 प्रतिशत या ₹ 1,00,000 जो भी कम हो।
पूर्व सैनिकों द्वारा पुनर्वास हेतु लिए गए ऋण में छूट देना।	पूर्व सैनिक / अधिकारी द्वारा अपने पुनर्वास हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, कृषि विकास बैंक या किसी अन्य सरकारी वित्तीय संस्थान से पुनर्वास हेतु लिए गए ऋण (Term Loan) पर निम्न प्रकार की छूट प्रदान की जाती है :-	
	₹ 5,00,000 /— तक	ऋण का 10 प्रतिशत छूट
	₹ 5,00,000 /— से ऊपर तथा ₹ 10 लाख तक	शेष धनराशी पर 5% छूट
सैनिक विधवाओं की पुत्रियों / पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियों की शादी हेतु सहायता।	पूर्व सैनिक विधवाओं की पुत्रियों / पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियों (दो विधिक पुत्रियों तक) की शादी हेतु अनुदान।	₹ 1,00,000 /— एक मुश्त
विधवाओं को पुनर्विवाह अनुदान।	सैनिक विधवाओं द्वारा पुनर्विवाह करने पर आर्थिक सहायता।	₹ 1,00,000 /— 5 वर्ष हेतु एफ0डी0 के रूप में।

पूर्व सैनिकों को व्हील चियर की सहायता ।	अपंग पूर्व सैनिकों को उनके आवेदन के आधार पर व्हील चियर संस्था कार्यालय द्वारा जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी ।	
सिलाई/बुनाई मशीन अनुदान	पूर्व सैनिक विधवाओं को स्वरोजगार हेतु सिलाई मशीन क्रय करने के लिए	₹ 3,000 /
	पूर्व सैनिक विधवाओं को स्वरोजगार हेतु बुनाई मशीन क्रय करने के लिए	₹ 3500 /—
दैवीय आपदा हेतु सहायता	आर्थिक रूप से कमजोर व बेरोजगार पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं को दैवीय आपदा जैसे – भूकंप, भूस्खलन, अग्नि कांड, बाढ से निजी आवासीय घर, जिसमें वह स्वयं वास करते हों, के 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर, आंशिक प्रतिपूर्ति हेत आर्थिक सहायता	₹ 50,000 /— एकमुश्त
जिला सैनिक कल्याण परिषद बैठक हेतु धनराशि ।	पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की समस्याओं के समाधान हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला सैनिक कल्याण परिषद की बैठकों के आयोजन हेतु धनराशि अनुमन्य ।	₹ 5000 प्रति बैठक
प्री-कम-पोस्ट रिलीज ट्रेनिंग हेतु छात्रवृत्ति	इस योजना के अन्तर्गत सेना में कार्यरत सैनिकों को प्रशिक्षण हेतु सेना से सेवानिवृत्त होने की तिथि से एक वर्ष/छह माह पूर्व ही आई.टी.आई. में प्रशिक्षण दिया जाता है, जहाँ पर प्रशिक्षण के समय उनकी सेवानिवृत्त की तिथि तक प्रशिक्षण शुल्क डी0जी0आर, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा भुगतान किया जाता है । अगर यह प्रशिक्षण उनके सेनानिवृत्त होने के पश्चात भी जारी रहता है तो ऐसे पूर्व सैनिकों को संस्था द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है ।	₹ 500 /— प्रतिमाह

प्रेपेलेजिक रिहेविलिटेशन केन्द्र	सैनिक पुनर्वास संस्था, उत्तराखण्ड द्वारा जो भी प्रदेश निवासी अपंग पूर्व सैनिक या उनकी पत्नियाँ, भारत सरकार के संरक्षण में पुनर्वास हेतु चलाये जाने वाली संस्थाओं में प्रशिक्षण, स्वास्थ्य लाभ या पूर्ण रूप से निवास कर रहे हो को, भरण पोषण हेतु निम्नवत सहायता प्रदान की जाती है :-	
	प्रेपेलेजिक रिहेविलिटेशन केन्द्र, मोहाली (चंडीगढ़)	₹1,00,000 / - प्रतिपात्र प्रतिवर्ष
	प्रेपेलेजिक रिहेविलिटेशन केन्द्र, किरकी (पूणे)	₹1,00,000 / - प्रतिपात्र प्रतिवर्ष
	सेन्ट डन्सटनस् आफ्टर केयर सोसाईटी देहरादून	
	नॉन पेन्सनर	₹ 30,000 / - प्रतिपात्र प्रतिवर्ष
पेन्सनर	₹ 14,600 / - प्रतिपात्र प्रतिवर्ष	

महत्वपूर्ण निर्देश

उपरोक्त सभी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं एवं उनके आश्रितों को चाहिए कि वे संस्था द्वारा निर्धारित आवेदन पत्रों को, जो प्रत्येक जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं, पूर्ण रूप से भर कर सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय को ससमय प्रस्तुत करें। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय निम्न समय सारणी के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों की सही जाँच-पड़ताल करने के उपरान्त संस्था मुख्यालय, देहरादून को प्रेषित करेंगे :-

(अ)	सामान्य, मेघावी तथा सैनिक विधवाओं एवं अन्नाथ पात्रों की छात्रवृत्ति आवेदन पत्र	31 अक्टूबर प्रतिवर्ष
(ब)	तकनीकी, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं व्ययसायिक छात्रवृत्ति आवेदन पत्र	31 दिसम्बर प्रतिवर्ष
(स)	सैनिक विधवाओं/सैनिकों की अनाथ पुत्री की शादी, सैनिक विधवाओं के पुनर्विवाह हेतु एव स्वरोजगार हेतु सैनिक विधवाओं द्वारा सिलाई/ बुनाई मशीन के लिए आवेदन पत्र।	31 अक्टूबर/31 दिसम्बर प्रतिवर्ष
(द)	ब्याज में छूट हेतु आवेदन पत्र	31 जनवरी एवं 30 जून
(य)	व्हील चियर के लिये आवेदन पत्र	01 जनवरी एवं 01 जुलाई
(र)	सैनिक स्कूल/आर.आई.एम.सी./मिलिट्री स्कूल/एन.डी.ए./आई.एम.ए./ओ.टी.ए. तथा एन.डी.ए./नेवल/ एयर फार्स अकादमी में प्रवेश के पश्चात प्रोत्साहन सहायता के लिये आवेदन।	जब भी प्रवेश पाते हैं
(व)	दैवीय आपदा अनुदान	31 जनवरी एवं 30 जून
(ल)	चिकित्सा अनुदान	31 जनवरी एवं 30 जून
(ह)	सिलाई बुनाई मशीन	31 जनवरी एवं 30 जून
(श)	कोचिंग व्यय की प्रतिपूर्ति	जब चयन होता है
(स)	पूर्व सैनिक आश्रितों के खेलों में प्रतिभाग करने पर प्रोत्साहन अनुदान	जब चयन होता है
(ष)	सेना, अर्द्धसैनिक बल, सीपीओज तथा राज्य पुलिस में चयन होने पर अनुदान।	जब चयन होता है